

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 123 सन 2020

अनवान :-

1. याकुब पुत्र अलादीन जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. अलादीन पुत्र हबीब जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. मजीद खान पुत्र अलादीन जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. इकबाल पुत्र अलादीन जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 09/02/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 8/7 की कुल 1.3910हैक् तथा रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 8/8 की कुल 2.2770हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हबीब वल्द मस्तु के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हबीब वल्द मस्तु के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा हबीब वल्द मस्तु के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता हबीब वल्द मस्तु के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 8/7 की कुल 1.3910हैक् तथा रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 8/8 की कुल 2.2770हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

20

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हबीब वल्द मस्तु के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हबीब वल्द मस्तु के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा हबीब वल्द मस्तु के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 8/7 की कुल 1.3910 हैक् तथा रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 8/8 की कुल 2.2770 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

पर्चा खतौनी के अनुसार वाद भूमि हबीब वल्द मस्तु के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा हबीब वल्द मस्तु के नाम से दर्ज है वादी के दादा हबीब वल्द मस्तु के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 8/7 के प0न0 362/425(1) के किला न0 12/0.253 ,चक 12 बारानी के खाता संख्या 8/8 की 349/432(26) के किला न0 14 ,17 ,24 /0.759 हैक् भूमि रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पास चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 8/7 के प0न0 362/425(1) किला न0 23/2 की 0.126 , प0न0 364/430(48) के किला न0 25/1 की 0.025 हैक् गै0मु0खाला किला न0 25/2 की 0.228 हैक् प0न0 364/431(53) के किला न0 5/1 की 0.025 हैक् गै0मु0रास्ता किला न0 5/2 की 0.228 हैक् भूमि रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 8/7 के प0न0 362/425(1) किला न0 22/0.253 ,चक 12 बारानी के प0न0 350/432(25) के किला न0 11 ,20 ,21 की 0.759 हैक् भूमि रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पास चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 8/7 के प0न0 362/425(1) के किला न0 19/0.253 ,चक 12 बारानी के खाता संख्या 8/8 के प0न0 349/432(26) किला न0 15 ,16 ,25/0.759 हैक् भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. याकुब पुत्र अलादीन जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 अलादीन पुत्र हबीब जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
- 2 मजीद खान पुत्र अलादीन जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
- 3 इकबाल पुत्र अलादीन जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।
- 4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 123 सन 2020 निर्णय दिनांक- 09/02/2021**

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 8/7 के प0न0 362/425(1) के किला न0 12/0.253 , चक 12 बारानी के खाता संख्या 8/8 की 349/432(26) के किला न0 14 ,17 ,24 /0.759 हैव भूमि रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पास चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 8/7 के प0न0 362/425(1) किला न0 23/2 की 0.126 , प0न0 364/430(48) के किला न0 25/1 की 0.025 हैव गै0मु0खाला किला न0 25/2 की 0.228 हैव प0न0 364/431(53) के किला न0 5/की 0.025 हैव गै0मु0रास्ता किला न0 5/2 की 0.228 हैव भूमि रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 8/7 के प0न0 362/425(1) किला न0 22/0.253 , चक 12 बारानी के प0न0 350/432(25) के किला न0 11 ,20 ,21 की 0.759 हैव भूमि रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पास चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 8/7 के प0न0 362/425(1) के किला न0 19/0.253 , चक 12 बारानी के खाता संख्या 8/8 के प0न0 349/432(26) किला न0 15 ,16 ,25/0.759 हैव भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )